सौरभ शर्मा की अस्थायी जमानत पर फैसला सुरक्षित

पत्नी की शल्य चिकित्सा और बच्चों की देखभाल का दिया हवाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः परिवहन विभाग के बहुचर्चित भ्रष्टाचार और धन शोधन प्रकरण के मुख्य आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अस्थायी जमानत याचिका पर बुधवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में एक-दो दिन के भीतर निर्णय आने की संभावना जताई जा रही है।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। सौरभ शर्मा ने अपनी याचिका में पत्नी की शल्य चिकित्सा और दो नाबालिग बच्चों की देखभाल का हवाला देते हुए 60 दिन की अस्थायी जमानत की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि उनकी पत्नी दिव्या तिवारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। चिकित्सकों ने उन्हें नाक और साइनस से संबंधित जटिल बीमारी के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा कराने की सलाह दी है। याचिका के अनुसार शल्य चिकित्सा के बाद उनकी देखभाल के लिए पति की उपस्थिति आवश्यक है। साथ ही परिवार के दो नाबालिग बच्चों की देखरेख के लिए भी कोई अन्य जिम्मेदार सदस्य उपलब्ध नहीं है।

सौरभ शर्मा ने मानवीय आधार पर न्यायालय से अस्थायी राहत देने का अनुरोध किया है। हालांकि इससे पहले जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय उनकी नियमित जमानत याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में गंभीर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी के अनुसार सौरभ शर्मा और उनके करीबी लोगों के नाम पर बड़ी मात्रा में संपत्तियां, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, भूमि और अन्य निवेश मौजूद हैं। एजेंसी का दावा है कि परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर व्यापक आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती रही हैं।

जांच एजेंसियों के अनुसार सौरभ शर्मा के मामले में 108 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और 51 किलोग्राम सोने से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। पूर्व में न्यायालय ने इन तथ्यों और धन शोधन से जुड़े आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने पहले की सुनवाई में यह भी माना था कि मामला सामान्य भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि संगठित आर्थिक अपराध से जुड़ा गंभीर प्रकरण है। अब अस्थायी जमानत याचिका पर आने वाले निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

छात्र के साथ अड़ीबाजी, मारपीट व अपहरण के दो आरोपी गिरफ्तार

अयोध्या नगर थाना पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षा देने भोपाल आए एक छात्र के साथ अड़ीबाजी, मारपीट और अपहरण के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने शराब पीने के लिए पैसे की मांग करते हुए छात्र को सुनसान जगह ले जाकर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। मूल रूप से इटारसी निवासी किशोर अंशुल मालवीय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा देने भोपाल अपने रिश्तेदारों के यहां आया था। 23 मई की रात करीब 8 बजे आरोपियों अनिल मालवीय निवासी ग्राम दाहोद और उसके साथी राज उर्फ राजीव कोल ने पुरानी रंजिश के चलते उसे फोन कर मिनाल गेट नंबर-4 पर मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही छात्र मौके पर पहुंचा, दोनों आरोपियों ने उसे बहाने से बाइक पर बैठाया और उड़ान एकेडमी के पास सुनसान क्षेत्र में ले गए।

पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक भागीदारी जरूरीः पीएस तिवारी

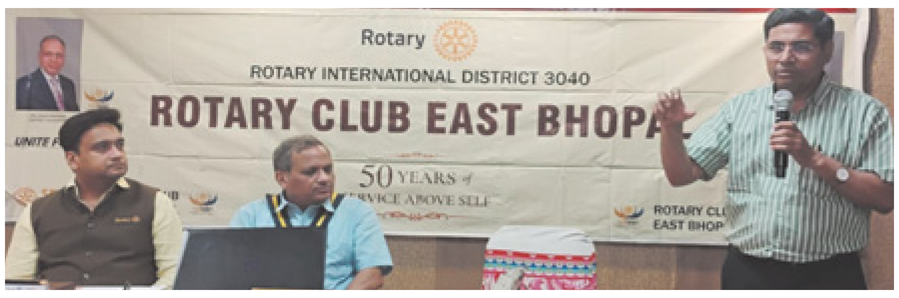

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः रोटरी क्लब ईस्ट भोपाल द्वारा आयोजित पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत पर्यावरण विशेषज्ञ पी.एस. तिवारी ने कहा कि प्रकृति ही जीवन का आधार है और पर्यावरण संरक्षण के बिना स्वस्थ भविष्य की कल्पना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों, नदियों और पशुओं के संरक्षण की परंपरा रही है, जिसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

तिवारी ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से वायु, जल और वाहन प्रदूषण, वनों की कटाई तथा प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रोटरी क्लब ईस्ट भोपाल के अध्यक्ष विश्वास घूसे ने कहा कि क्लब पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। कार्यक्रम का संचालन प्रखर तिवारी ने किया तथा आभार प्रदर्शन सुनील भार्गव ने किया। इस अवसर पर आर.जी. द्विवेदी, पलाश सुरजन, जी.के. छिब्बर, कला मोहन, कुमुद तिवारी, मनोज झा, गरिमा तिवारी, श्रीकांत फाटक सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

लीडकॉन 2026 में छात्रों को मिला करियर और नेतृत्व का मार्गदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जय नारायण कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (जेएनसीबीएम) में भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन (बीएमए) के सहयोग से 8 एवं 9 जून को आयोजित दो दिवसीय 'लीडकॉन 2026' का सफल समापन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को करियर निर्माण, नेतृत्व विकास और उद्योग जगत की वर्तमान आवश्यकताओं से परिचित कराना था।

कार्यक्रम में अमेरिका स्थित नेटलिंक सॉफ्टवेयर ग्रुप की एचआर प्रोफेशनल मोनिका सांगवानी, आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट के एचआर एवं आईआर विशेषज्ञ अनिल दुबे, जीआरआई एचआर सॉल्यूशंस के एचआर सलाहकार विजय जी. जैन तथा ल्यूपिन लिमिटेड की पूर्व एचआर प्रमुख विंसी सेबेस्टियन ने विद्यार्थियों को रोजगार, साक्षात्कार, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल और कॉर्पोरेट जगत की अपेक्षाओं पर मार्गदर्शन दिया। समापन समारोह में प्रो. आर.जी. चौकसे और बीएमए के प्रबंधक आमिर खान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा महाविद्यालय के वार्षिक न्यूजलेटर का विमोचन किया गया। लगभग 250 विद्यार्थियों की सहभागिता वाला यह आयोजन ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं विद्यार्थियों के करियर निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

ट्विशा शर्मा प्रकरण में दूसरी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सीबीआई को मिली

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मृत्यु प्रकरण की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दूसरी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच एजेंसी को सौंपी गई है, जिसका अब विस्तार से परीक्षण किया जा रहा है।

प्रकरण में जांच का केंद्र बिंदु ट्विशा शर्मा की कथित गर्भावस्था, गर्भपात और उसके बाद हुई मृत्यु की परिस्थितियां बनी हुई हैं। जांच एजेंसी घटनास्थल से प्राप्त तथ्यों, चिकित्सकीय प्रतिवेदनों और अन्य साक्ष्यों का मिलान कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

पहली पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों का उल्लेख किया गया था। अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये चोटें सामान्य थीं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत करती हैं। जांच दल फांसी के फंदे से जुड़े तथ्यों का भी वैज्ञानिक परीक्षण और न्यायिक विज्ञान संबंधी साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण कर रहा है। जांच एजेंसी ट्विशा शर्मा के मोबाइल दूरभाष और संगणक की भी गहन जांच कर रही है। इनमें से हटाए गए अभिलेखों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि संदेश, वार्तालाप विवरण, चित्र, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्य घटनाक्रम को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रकरण में ट्विशा शर्मा की सास, पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह तथा पति समर्थ सिंह वर्तमान में भोपाल केंद्रीय कारागार में निरुद्ध हैं। दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज मांगने, प्रताड़ना देने और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। दूसरी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और नए साक्ष्यों के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दोनों आरोपियों से पुनः पूछताछ कर सकती है। इसके लिए उन्हें संरक्षण वारंट पर कारागार से अभिरक्षा में लिया जा सकता है। फिलहाल जांच एजेंसी चिकित्सकीय रिपोर्टों, डिजिटल साक्ष्यों और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों का परीक्षण कर रही है।

चलती कार में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप

नप्र, भोपालः राजधानी के अरेरा कॉलोनी स्थित ई-5 क्षेत्र में बीती दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के सामने बिट्टन मार्केट के पास चलती एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी गाड़ी उसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। वाहन में अवैध गैस किट लगी हुई थी, जिससे आग तेजी से फैली और स्थिति बेहद गंभीर हो गई। आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद चालक या वाहन मालिक ने मौके पर रुकने या फायर ब्रिगेड को सूचना देने की बजाय वहां से फरार हो गया।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर अधिकारियों के अनुसार यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो गैस किट के कारण बड़ा विस्फोट भी हो सकता था। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

पूज्य सिंधी पंचायत चुनाव

पहला फार्म अध्यक्ष पद के लिए राज मनवानी ने लिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः सिंधी समाज की प्रतिनिधि संस्था पूज्य सिंधी पंचायत के त्रिवार्षिक चुनाव 2026 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन वितरण के पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए राज मनवानी ने फार्म लिया।

चुनाव अधिकारी बसंत चेलानी, सह चुनाव अधिकारी धर्म प्रकाश मोटवानी, आयलदास साधवानी, कन्हैयालाल मोटवानी, पुरुषोत्तम टिलवानी की मौजूदगी में मनवानी ने नामांकन लिया।

अधिकारी बसंल चेलानी बताया कि नामांकन वितरण 12 जून तक चुनाव कार्यालय नवयुवक सभा भवन से सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक होगा। 13 एवं 14 जून 2026 को नामांकन फार्म जमा होंगे। 15 जून को प्रत्याशियों की सूची सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी।

नाम वापसी 17 जून दोपहर 12:00 बजे तक रहेगी। इसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। चुनाव आवश्यक होने पर 21 जून 2026 को नवयुवक सभा भवन में प्रातः 8 से 2:00 बजे तक मतदान होगा, उसी दिन चुनाव के तत्काल पश्चात वोटो की गणना की जाएगी एवं परिणाम घोषित किया जाएगा।

बता दे इस चुनाव में मौजूदा अध्यक्ष माधु चांदवानी अपने पैनल के साथ मैदान में उतरेंगे। इस बार पंचायत में 10 की जगह 12 पदों के लिए मतदान हो रहा है। पंचायत में 10 पदो पर चुनाव होते थे इस बार 12 पदों पर चुनाव होंगे। मौजूदा पदों के अलावा एक सचिव, एक सहसचिव का पद बढाया गया है।

12 जून को भाई चमनजीत सिंह का अमृतवेल कीर्तन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः साध्वी द्रौपदी धनवानी की द्वितीय पुण्यतिथि पर धार्मिक कार्यक्रमों के बीच श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। कार्यक्रम का सिलसिला 9 जून से शुरू हो गया है। पहले दिन सुबह 6:00 से धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का शुभारंभ हुआ।

चार दिन रोज शाम 5 बजे 108 संगत मिलकर श्री सुखमनी साहिब का पाठ करेंगे, भाई चमनजीत सिंह दिल्ली से विशेष रूप से 12 जून को सुबह 5 बजे अमृतवेल कीर्तन करने आ रहे है द्य उस दिन सुबह 7:00 बजे तक उनका कीर्तन एवं प्रवचन चलेंगे द्य 7:30 बजे भोग साहिब होगा एवं तत्पश्चात गुरु का लंगर होगा।

साध्वी द्रौपदी धनवानी ने अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए मानव सेवा एवं गुरु ग्रंथ साहिब व गुरु नानक देव जी की आराधना में लीन कर देने वाली ब्रह्मलीन ने 12 जून को महाप्रयाण किया था।

महिलाएं संचालित करती हैं गुरुद्वारा

संतनगर की ही नहीं बल्कि राजधानी का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जिसका पूरा संचालन महिलाओं के हाथों में है और यह 24 घंटे खुला रहता है तथा 24 घंटे ही सुखमनी साहिब जी का पाठ साहिब, जपजी साहिब जी का पाठ चौपाई गुरबाणी का पाठ निरंतर चलता है, इसके लिए अलग-अलग समय पर महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है यह एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहां 24 घंटे लंगर भी चलता है।

शिक्षक का सामर्थ्य ही बच्चों को आगे बढ़ाता हैः सिद्धभाऊ

सुधार सभा के टीचर्स के लिए 'शिक्षक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला'

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः 'बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए हमें उनके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्यार की भाषा सबसे जल्दी और आसानी से समझते हैं। बच्चों की सही समय पर की गई तारीफ उन्हें स्वाभिमानी बनाती है।' यह उद्गार सिद्धभाऊ जी ने व्यक्त किए।

वे साधु वासवानी/मुक्तिधा इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिकाओं के लिए आयोजित 'शिक्षक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला' में बोल रहे थे। भाऊ जी ने कहा कि बच्चों को टाइम टेबल बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उनके समय का सदुपयोग होगा और उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों के लिए भी समय मिल सकेगा। विद्यालय के महासचिव कन्हैयालाल रामनानी ने कार्यशाला के उद्देश्य पर विचार रखे।

सुधार सभा के अध्यक्ष हीरो ज्ञानचंदानी ने कहा कि संतजी की कृपा से शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि बच्चों के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई उज्ज्वल भविष्य संभव नहीं है। सभा के कोषाध्यक्ष आइलदास साधवानी ने कहा कि शिक्षक हमेशा 'गुड मॉर्निंग' के साथ मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करें। प्री-प्राइमरी स्तर से ही यह आदत डालें। बच्चों की कॉपियां चेक करने में कोई गलती न करें, क्योंकि बच्चों को अपने

शिक्षकों पर अटूट विश्वास होता है और इस विश्वास को बनाए रखना शिक्षकों की जिम्मेदारी है।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में विद्यासागर पब्लिक स्कूल की पूर्व उप-प्राचार्या जयश्री मूर्ति ने कहा कि आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। शिक्षा लगातार सीखने की एक प्रक्रिया है।' लगातार पढ़ाते-पढ़ाते आने वाले ठहराव को दूर करने के लिए शिक्षण पद्धतियों में बीच-बीच में बदलाव करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्राचार्या सुतपा जायसवाल ने आभार व्यक्त किया तथा संचालन ममता जनियानी द्वारा किया गया।

आजाद मार्केट में पेड़ की टहनी गिरने से तीन घायल

नप्र, भोपालः भोपाल के पुराने शहर स्थित आजाद मार्केट में बुधवार दोपहर एक पेड़ की मुख्य टहनी अचानक गिर गई, जिससे तीन राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा दोपहर 3.15 बजे हुआ। घायल सभी बाइक सवार थे और उनके सिर में चोटें आई हैं। घायलों को मौके पर मौजूद लोगों की मदद से टहनी के नीचे से बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू ने बताया कि यह मुनगा की फली का पेड़ था। हादसे के समय न बारिश हो रही थी और न ही तेज हवा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पेड़ गिरने से कुछ सेकंड पहले ही सड़कों पर लोग गुजर रहे थे।

कार्यालय क्षेत्रसंचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम्, म.प्र.

Phone No. 07574-254394 (O) Fax, 07574-252133
E-mail: ddsatnp.hbd@mp.gov.in

क्रमांक/स्था./3832 नर्मदापुरम् दिनांक 05/06/2026

विज्ञप्ति

श्री अर्जुन सिंह रायपुरिया वनरक्षक का हृदयगति रूकने के कारण दिनांक 16.12.2025 को दुखद निधन हुआ है। उनकी शादी दिनांक 27.01.2023 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार चौहान मैरिज गार्डन लहार से सम्पन्न हुई थी। स्व. श्री अर्जुन सिंह रायपुरिया, वनरक्षक द्वारा सेवा पुस्तिका में पत्नि श्रीमती रीता रायपुरिया का नामीनेशन नहीं कराया गया था। श्रीमती रीता रायपुरिया पत्नि स्व. श्री अर्जुन सिंह रायपुरिया, द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन क्षेत्र संचालक सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

(ऋषिभा सिंह नेताम) भा.व.से.
उपसंचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम

जी-14178/26

सेठ चेतनदास पारदासानी की सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता : चांदवानी

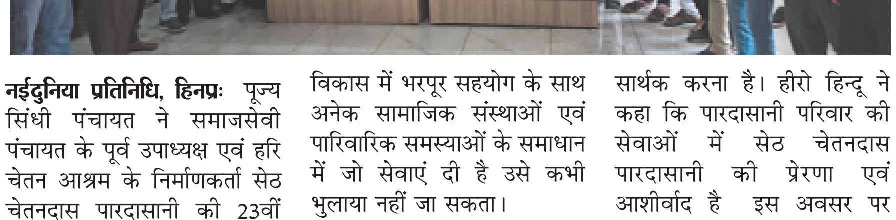

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः पूज्य सिंधी पंचायत ने समाजसेवी पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष एवं हरि चेतन आश्रम के निर्माणकर्ता सेठ चेतनदास पारदासानी की 23वीं पुण्यतिथि श्रद्धा से मनाई गई। आरंभ में पारदासानीजी के चित्र पर भरत आसवानी व अन्य सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की।

अध्यक्ष माधू चांदवानी ने कहा कि पारदासानीजी को निःस्वार्थ सेवाओं का जुनून था, जिसमें हरिचेतन आश्रम का निर्माण पंचायत के फैसला बोर्ड एवं विकास में भरपूर सहयोग के साथ अनेक सामाजिक संस्थाओं एवं पारिवारिक समस्याओं के समाधान में जो सेवाएं दी है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

हरिचेतन आश्रम संचालक संत नरेश पारदासानी ने श्रद्धांजलि देते हुए भगवत गीता गरुण पुराण पर अपने विचार रखे। कहा कि हमारे पिताजी स्व0 चेतनदास पारदासानी की निःस्वार्थ समाज सेवा हर समाज सेवी को प्रेरणा देता रहेगा फलस्वरुप उनके मार्ग पर चलकर सेवा करना हो अपना जीवन सार्थक करना है। हीरो हिन्दू ने कहा कि पारदासानी परिवार की सेवाओं में सेठ चेतनदास पारदासानी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद है इस अवसर पर बोरवन क्लब के अध्यक्ष व पंचायत के उपाध्यक्ष जगदीश आसवानी, राज मनवानी, मनोहर वीधानी, घनश्याम लालवानी, राकेश शेवानी ने भी स्व चेतनदास पारदासानी के जीवन पर विचार रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में 2 मिनट का मोन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.रतनपुर सडक तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र
रा.प्र.क.0179 अ/12/2026-27
ग्राम नाम : खबनमुलिया

सूचना- पत्र

प्रति, 1सत्येन्द्र कुमार जैन, आ. श्री प्रेमचंद जैन निवासी ओपाल 2 पी.एम.देवनाल आ. रमानी मोहन देवनाल निवासी भोपाल 3 राजेश यादव, आ. कृष्णलाल निवासी भोपाल 4 देवांश यादव आ. राजेश यादव निवासी भोपाल 5 जितेन्द्र कुमार दीक्षित आयुंसी दीक्षित निवासी भोपाल 6. पी.टी. जानसन आ. सीआई थामस निवासी भोपाल 7 हरिसिंह आ. प्रभुलाल निवासी भोपाल सर्वसाधारण को सूचनार्थ **विषय**-सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र। एतद द्वारा सूचित किया जाता के कि आवेदक श्री सत्येन्द्र कुमार जैन पिता प्रेमचंद जैन निवासी भोपाल निवासी भोपाल द्वारा ग्राम खबनमुलिया पहनं0. में स्थित खसरा नंबर कमांक 156,157 रकबा. क्रमांक 0.0500 हेक्टर भूमि कुल रकबा 0.0500 हॅक्टयर भूमि का सीमाकंन हेतू आवेदक पत्र प्रस्तूत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमाकंन मेरे द्वारा दिनांक 12/06/2026 को समय प्रात: 10.00 से 12.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नही होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक मे परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र मे कराया जा सकता है। आज दिनांक 09/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)

581

न्यायालय नजूल अधिकारी, तहसील कोलार, भोपाल
प्रकरण क्रमांक 0097/अ-6/2025-26

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मनोज सुराना पुत्र स्व. श्री मांगीलाल सुराना पता- म.न. 288 शक्ति नगर, नियर हबीबगंज नाका, सेक्टर-2, भोपाल द्वारा ग्राम शाहपुरा भुखण्ड क्रमांक 284, शक्ति नगर सेक्टर-2, क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट का नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 22.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी, तहसील कोलार, भोपाल

580

आम सूचना

मेरे पक्षकारगण ने सरोज आदित्य पत्नी श्री डी आदित्य कुमार वयस्क, निवासी- 83 कुंजननगर फेस-2 भोपाल उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम गुराड़ी घाट, पटवारी हल्का, रतनपुर सड़क, तहसील कोलार, जिला भोपाल, स्थित भूमि खसरा क्रमांक 15/1/1/2 रकबा 0.2020 हेक्टेयर अर्थात् 0.50 एकड़ भूमि खरीदने का सौदा कर लिया है। संपत्ति में किसी भी व्यक्ति या संस्था का कोई हक, आधिपत्य, हित, क्लेम या भार हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर-अंदर समस्त दस्तावेजों सहित आपत्ति लिखित में मेरे कार्यालय में कार्यालीन समय में प्रस्तुत करें अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजे। समयावधि व्यतीत होने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरे पक्षकारगण उक्त सम्पत्ति के विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करा लेंगे।

राजेन्द्र पटेल, एडवोकेट
मकान नंबर 01, परमसुख भवन, दुर्गा चौक, बरखेड़ी भोपाल
मो. 8817565291, 7697206586

579

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही एवं वास्तविक नाम 'दिव्य प्रताप सिंह (Divya Pratap Singh) है। मेरे जन्म प्रमाण-पत्र (Birth Certificate) में त्रुटिवश मेरा नाम 'दिव्य प्रताप सिंह (Divy Pratap Singh) अंकित हो गया था, जो कि गलत है। मेरे समस्त अन्य शैक्षणिक, पहचान एवं सरकारी अभिलेखों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम 'दिव्य प्रताप सिंह (Divya Pratap Singh) ही दर्ज है। वर्ष 2013 में मैंने उक्त जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर पासपोर्ट हेतु आवेदन किया था, जिसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट क्रमांक L5149241 जारी हुआ था। उक्त पासपोर्ट की वैधता वर्ष 2018 तक थी। वर्तमान में मैं अपने पासपोर्ट अभिलेख में नाम का संशोधन कराकर सही नाम दिव्य प्रताप सिंह (Divya Pratap Singh) दर्ज कराना चाहता हूँ। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि 'दिव्य प्रताप सिंह (Divy Pratap Singh) एवं 'दिव्य प्रताप सिंह (Divya Pratap Singh) एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा दोनों नामों से संबंधित समस्त दस्तावेज, अभिलेख, कार्यवाही एवं पहचान एक ही व्यक्ति की है।

D.K. SINGH (Advocate)
4-Simaran Apartment,
Trilanga, Bhopal, MP-462039

578

जाहिर सूचना

यह कि मेरे द्वारा अधिकृत एवं निर्देशित होकर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ, कि मेरे पक्षकार द्वारा कान्ता छगनलाल बोपचे आत्मज श्री छगनलाल, उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति एक प्लॉट नं. 48 ए आर, जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफीट है। जो भूमि खसरा नं. 63, 68/1/2ख, 73/1/3 का भाग है तथा ग्राम नयापुरा तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. में स्थित है। जिसको क्रय करने के लिए टोकन राशि देकर कर अनुबंध पत्र निष्पादित कर लिया गया हैं। यदि उक्त सम्पत्ति पर किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, व्यक्ति, संस्था, शासकीय, अशासकीय विभाग, नजूल, नगर निगम, भोपाल आदि का कोई लेना-देना हो या उक्त सम्पत्ति किसी के पक्ष में बंधक, दान, गिरवी, अनुबंधीत हो या अन्य किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना प्रकाशन से 07 दिन के अंदर अपनी लिखित आपत्ति मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्रस्तुत आपत्ति मान्य नहीं होगी।

नितिन कटारे अधिवक्ता
कार्या. ऑफिस नंबर-8, बीमा कुंज, कोलार रोड, भोपाल, म.प्र.। मो. 8319954272

577